



**राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।**

रेक्ट. प्रार्थना पत्र संख्या (1-3).....90 लगायत 92/2017.....जिला.....भीलवाडा.....

उनवान - मैसर्स. शुभ लक्ष्मी मेटल्स एण्ड केमिकल्स, भीलवाडा बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन,  
राजस्थान प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/09/2017	<p align="center"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री के.एल.जैन, सदस्य</u> <u>श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री डी.कुमार एवं विभाग की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित।</p> <p>यह विविध प्रार्थना पत्र, राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के आदेश दिनांक 02.08.2017 के संबंध में प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील निर्णयों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिये गये वर्णन एवं निर्णयों का हवाला भी दिया जाने से अपीलीय अधिकारी का निर्णय प्रभावित हो सकता है, इस आशंका के अधीन संशोधन हेतु दिये गये प्रार्थना पत्रों को सुनवाई करने पर यह स्पष्ट किया जाता है कि स्थगन आदेशों में दिए गए वर्णन एवं न्यायिक दृष्टांतों से प्रभावित हुए बिना गुणावगुण पर अपीलीय अधिकारी निर्णय करें।</p> <p>विविध प्रार्थना पत्र का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है।</p> <p align="center">               (मदनलाल मालवीय)              सदस्य         </p> <p align="center">               (के.एल.जैन)              सदस्य         </p>	